उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या /VII-1/2018/17–उद्योग/2013 TC
देहरादूनः दिनांकः 25 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल, राज्य की "मेगा इण्डस्ट्रियल तथा इन्वेस्टमेंट नीति–2015" में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाते हैं:–

"मेगा इण्डस्ट्रियल तथा इन्वेस्टमेंट (संशोधन) नीति–2018"

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
ii- इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र आच्छादित होंगे।	इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार(उद्योग विभाग/सिडकुल) द्वारा विकसित सभी औद्योगिक आस्थान /क्षेत्र, अधिसूचित निजी औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान/विशेष औद्योगिक क्षेत्र, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्याः 50/2003–सी.ई. दिनांक 10 जून, 2003 में **Proposed Industrial Estates/Area** व **Expansion of the Existing Industrial Estates** शीर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों अथवा मेगा प्रोजेक्टस के लिए विधिक रूप से अर्जित ऐसी भूमि, जिसका भू–उपयोग विनियमित क्षेत्र के अनुमोदित मास्टर प्लान में औद्योगिक घोषित हो अथवा विनियमित क्षेत्र से बाहर(नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर) की भूमि धारा–143 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक/अकृषक घोषित की गयी हो, आच्छादित होगें।
iii- इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार/सिडकुल द्वारा चिन्हित औद्योगिक आस्थानों में निम्न प्रकार के उद्योग सम्मिलित किये जायेंगे:– (अ) एकल उद्योग। (ब) हॉस्पिटल। (स) मिश्रित उद्योग (इस श्रेणी के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों के साथ	इस नीति के अंतर्गत आच्छादित/चिन्हित क्षेत्रों में स्थापित होने वाले निम्न प्रकार के विनिर्माणक/सेवा क्षेत्र के उद्यम सम्मिलित किये जायेंगे:– (अ) एकल उद्योग। (ब) हॉस्पिटल। (स) मिश्रित उद्योग (इस श्रेणी के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों के साथ उनकी प्रोसेसिंग इकाईयों को भी अनुमन्य

उनकी प्रोसेसिंग इकाईयों को भी अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। जैसे डेयरी एवं डेयरिंग से सम्बन्धित डेयरिंग उत्पाद की Processing Unit, टैक्सटाईल उद्योग तथा उससे सम्बन्धित वस्त्र प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि।	किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। जैसे: **डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण/प्रसंस्करण की इकाई (Dairy & Dairy Products Manufacturing / Processing Units), टैक्सटाईल उद्योग तथा उससे सम्बन्धित वस्त्र/परिधान विनिर्माण की इकाई,** इत्यादि। (द) आयुष एवं वैलनेस: कायाकल्प रिसॉर्ट (**Spa & Rejunevation Resort**),आर्युवेद, योगा, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एवं स्पॉ। (ध) होटल, रिसॉर्ट, मोटेल, केबिल कार एवं रोप–वे, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल: बंजी जम्पिंग, पॉवर बोट्स, कायकिंग, जॉय राइडिंग इन चॉपर्स, सी–प्लेन, स्किल गेम पार्क।
xi(4)- Vat Concession: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों को उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षों तक निम्नानुसार छूट प्रदान की जायेगी:– 1- लार्ज प्रोजेक्टस– वैट दर 30 प्रतिशत उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु। 2- मेगा प्रोजेक्टस/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस–वैट दर 50 प्रतिशत उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु।	मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2015 के अन्तर्गत माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा निम्नानुसार होगी: 1. लार्ज प्रोजक्टस के लिये उत्पादन तिथि से आगामी 5 वर्ष हेतु इनपुट टैक्स केडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विकय किया गया हो, का 30 प्रतिशत। 2. मेगा प्रोजक्टस/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु इनपुट टैक्स केडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विकय किया गया हो, का 50 प्रतिशत। स्पष्टीकरण: माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा

	जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इस योजना के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिए गए ऐसे एस.जी.एस.टी. कर के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो।
xi(10)- CST: उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उद्यमियों को उत्पादन तिथि से 5 वर्षों तक 1 प्रतिशत CST प्रस्तावित।	**1 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 व्यवस्था प्राचलन में आने के फलस्वरूप नीति में प्रदत्त केन्द्रीय बिक्री कर (CST) कर से छूट की सुविधा दिनांक 1 जुलाई, 2017 के पश्चात अनुमन्य नहीं होगी।**

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 358 (1)/VII-1/2018/17–उद्योग/2013 TC तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मुख्यमंत्री, उत्तरांखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. गार्ड फाईल।

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।